न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 377 सन 2018

अनवान :—

1. दौलतराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र टिकूराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. रामप्रसाद पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. महेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
4. मोहनलाल पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
5. तारावती 6 सन्तरों पुत्रीया किशनाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 05/11/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 41/117 के प0न0 342/450(73) के किला न0 16 ,23 ,24/1.020हैक एवं प0न0 343/450(74) किला न0 16 ता 24/2.2770हैक कुल 3.2880हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकूराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 19 डीपीएन के खाता संख्या 39/116 के प0न0 364/445(35) के किला न0 16 ,23 ,24 ,25/0.6827हैक भूमि एवं प0न0 365/445(36) किला न0 19 ता 22/0.6326हैक प0न0 365/446(45) किला न0 1 ,2 की 0.4302हैक एवं प0न0 364/446(46) के किला न.0 3 ता 5/0.6831हैक प0न0 0 मु0न0 73/16 के किला न0 0/02 की 0.0759हैक गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 73/22 की 0/03 की 0.1771हैक गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 75/12 के किला न0 0 की 0.1139हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 76/11 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला कुल 17 किता की 2.8205हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकुराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 55/128 के प0न0 352/448(79) के किला न0 6 ,7 ,14 ,15/1.0120हैक प0न0 353/448(80) के किला न0 9 ता 12 की 1.0120हैक 19/2 की 0.0759हैक 20/0.2530हैक कुल किता 10 की 2.3529हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकुराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 48/107 के प0न0 358/452(28) के किला न0 5 ता 10 की 1.4670हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकुराम खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 47/106 के प0न0 358/452(28) के किला न0 1 ता 4/0.8860हैक प0न0 0 मु0न0 76/32 किला न0 0 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला प0न0 78/20 के किला न0 0 की 0.1010हैक कुल 1.0120हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकुराम खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 43/36 के खसरा न0 154 की 2.1750हैक खसरा न0 157/2क ी 1.1380हैक , भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के किशनाराम पुत्र टिकुराम खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 44/40 क खसरा न0

151/5.9190हैक खसरा न0 158/3.4150हैक खसरा न0 159/3.5660हैक खसरा न0 162 की 1.3650हैक खसरा न0 164 की 3.4020हैक कुल 17.6920हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर 1/6 हिस्सा किशनाराम पुत्र टिकूराम खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा टिकूराम पुत्र खेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 41/117 की कुल 3.2890हैक में से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 55/126 की कुल 2.3529हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा 19 डीपीएन के खाता संख्या 39/116 की कुल 2.8205हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 43/107 की कुल 1.4670हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 47/106 की कुल 1.0120हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 43/36 की 3.3130हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 44/40 की कुल 17.6920हैक भूमि में सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद भूमि वादी के दादा टिकुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात उसके पिता के नाम से दर्ज थी वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनाराम पुत्र टिकुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के

Web Copy - Not Official

पक्ष मे किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति व दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने के लिये स्टाम्प डयूटी कायम रखी जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 41/117 की कुल 3.2890हैक में से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 55/126 की कुल 2.3529हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा 19 डीपीएन के खाता संख्या 39/116 की कुल 2.8205हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 48/107 की कुल 1.4670हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 47/106 की कुल 1.0120हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 43/36 की 3.3130हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 44/40 की कुल 17.6920हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाचों बहिब के खातेदार काश्तकार है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार मात्र का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/11/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
eCourts Copy - Not Official